

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ
प्रेस विज्ञप्ति

स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat) के अध्यक्ष पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना के प्रकाशन के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक 2233/एसएलएसए-188/2026 दिनांक 16.07.2026 द्वारा प्रदेश के 09 जनपदों में स्थापित स्थायी लोक अदालतों के अध्यक्ष पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराने के निर्देश निर्गत किए गए थे।

तत्पश्चात उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक 2324/एसएलएसए-188/2026 दिनांक 18.07.2026 द्वारा उक्त विज्ञापन में संशोधन करते हुए अवगत कराया गया है कि संबंधित जनपद से प्राप्त त्रुटिपूर्ण सूचना के कारण जनपद गौतम बुद्ध नगर का नाम अनवधानवश विज्ञापन में सम्मिलित हो गया था। अतः पूर्व में जारी विज्ञापन को निरस्त/वापस लेते हुए संशोधित विज्ञापन जारी किया गया है।

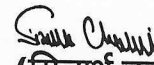
संशोधित विज्ञापन के अनुसार अब निम्नलिखित 08 जनपदों में स्थापित स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat) के अध्यक्ष पदों हेतु पात्र नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं—1. आजमगढ़ 2. बलरामपुर 3. महोबा 4. संत कबीर नगर 5. पीलीभीत 6. अलीगढ़ 7. एटा 8. मथुरा।

संशोधित विज्ञापन के अनुसार विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 23 जुलाई, 2026 तथा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त, 2026 सायं 05:00 बजे निर्धारित की गई है।

जनपद मऊ के समस्त पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे केवल संशोधित विज्ञापन के अनुसार ही आवेदन करें।

विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी, पात्रता, आवेदन की शर्तें एवं अन्य आवश्यक विवरण उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट <https://uttarpradesh.nalsa.gov.in> पर उपलब्ध हैं।

दिनांक : 21 जुलाई, 2026


(सिद्धार्थ चतुर्वेदी)

प्रभारी सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ

21/7/26

प्रतिलिपि :

1. माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ को सादर सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, मऊ को सूचनार्थ।
3. अध्यक्ष/मंत्री, सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन, मऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संशोधित विज्ञापन/प्रेस विज्ञप्ति को बार एसोसिएशन के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
4. केन्द्रीय नाज़िर, दीवानी न्यायालय, मऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संशोधित विज्ञापन/प्रेस विज्ञप्ति को जिला न्यायालय, मऊ के नोटिस बोर्ड पर प्रमुखता से चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
5. सिस्टम ऑफिसर, दीवानी न्यायालय, मऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त संशोधित विज्ञापन/प्रेस विज्ञप्ति को जनपद न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. जिला सूचना अधिकारी, मऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जनहित में उक्त संशोधित प्रेस विज्ञप्ति का स्थानीय समाचार-पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें।
7. कार्यालय प्रति।


प्रभारी सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ।

21/7/26